करके नियम बनाये जाते हैं । विभिन्न पदों की भर्ती भी, भर्ती नियमों की व्यवस्था के अनुसार की गई है ।

जहां तक बन्दोबस्त संगठन का प्रश्न है, यह पुनर्वास विभाग का अधीनस्थ कार्यालय है और अनुबन्ध में दिये गये पदों की नियुक्ति/पदोन्नति के बारे में भर्ती नियम संघ लोक सेवा आयोग/गृह मंत्रालय के साथ परामर्श कर बनाये गये हैं । यहां कुछ ऐसे भी पद हैं जिनके लिये भर्ती नियम नहीं हैं । इन पदों में भर्ती, गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार ही की जाती है ।

अनुबन्ध

1. बन्दोबस्त आयुक्त ।
2. सहायक बन्दोबस्त आयुक्त ।
3. बन्दोबस्त अधिकारी ।
4. सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ।
5. मैनेजिंग अधिकारी ।
6. सहायक कस्टोडियन ।
7. लेखा अधिकारी (प्रवर) ।
8. लेखा अधिकारी (अवर) ।
9. अधीक्षक (सुपरिंटैन्डेन्ट) ।
10. उच्च श्रेणी लिपिक ।
11. निम्न श्रेणी लिपिक ।
12. आशुलिपिक ।
13. फैसला लिखने वाला (जजमैन्ट राईटर) ।
14. दफतरी और जमादार ।
15. चपड़ासी ।

(ग) जी, हां कुछ मामलों में आरंभिक अवस्था में जब कार्यालय स्थापित किया जा रहा था ।

(घ) बन्दोबस्त आयुक्त कार्यालय, लखनऊ के स्थापित करने की प्रारंभिक अवस्था में कार्य के हित को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि कुछ अनुभवी कर्मचारियों की नियुक्तियां रोजगार कार्यालय के सामान्य चैनल के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से की जायें जैसे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से हस्तान्तरण पर और इस संगठन के छटनी किये गये कर्मचारियों में से । ऐसी सभी नियुक्तियां अब समक्ष प्राधिकारी द्वारा नियमित कर दी गई हैं ।

दिल्ली में अवैध शराब निकालने वाले लोगों की गिरफ्तारी

4045. **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राजौरी गार्डन के निकट जे० जः कालोनी में अवैध शराब निकालने वाले पांच व्यक्तियों को शराब निकालने के उनके सामान सहित गिरफ्तार कर लिया गया है ;

(ख) शराब निकालने की ये भट्टियां कब से चल रही हैं ; और

(ग) पुलिस ने इन व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी हां ।

(ख) शराब निकालने की दो भट्टियां दिल्ली पुलिस के ध्यान में आई, जबकि उस क्षेत्र में एक छापा डाला गया था ।

(ग) अवैध शराब निकालने के लिये उत्तरदायी पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, तथा पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में उनके विरुद्ध मामले दर्ज किये गये । रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मामला न्यायालय में पेश किया जायेगा ।